प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाएं।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 3120 लखनऊः दिनांकः 20/07/2024

विषयः सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद के पत्र संख्याः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2454, दिनांकः 01.07.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2024–25 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु यूराईज पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 01.07.2024 से 04.07.2024 के मध्य आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

कतिपय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थानों द्वारा परिषद स्तर से बार–बार यू–राईज पोर्टल पर आवेदन हेतु ई–मेल द्वारा एवं दूरभाष पर निर्देशों के बावजूद सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में आवेदन नहीं किए गए।

उक्त के दृष्टिगत सत्र 2024–25 में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा आयोजित की जा रही काउंसिलिंग में अपनी संस्था को सम्मिलित कराने हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांकः 22.07.2024 से 23.07.2024 तक प्रत्येक दशा में यूराईज पोर्टल पर अपनी संस्था के su login के माध्यम से संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2023–24 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें एवं किये गये आवेदन की सूचना परिषद कार्यालय के परिषद अनुभाग में स्वयं उपस्थित होकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपरोक्त निर्धारित तिथि 23.07.2024 तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में तिथि का विस्तारण नहीं किया जायेगा। आप अवगत हैं कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0 प्र0 लखनऊ की प्रथम चरण की काउंसिलिंग प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0: प्राशिप / परिषद / 2024 / 3121-25 तददिनांकः 20/07/2024

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

प्रधानाचार्य / निदेशक,
परिषद से पूर्व से सम्बद्ध समस्त,
निजी क्षेत्र की डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाए।

पत्रांकः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2454 **लखनऊः दिनांकः 01/07/2024**

विषयः सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक परिषद के पत्र संख्याः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2068, दिनांकः 24.06.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2024–25 हेतु परिषद से पूर्व से सम्बद्ध निजी क्षेत्र की समस्त डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थाओं को ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने हेतु यूराईज पोर्टल के माध्यम से दिनांकः 25.06.2024 से 30.06.2024 के मध्य आवेदन आमंत्रित किये गये थे।

कतिपय डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग संस्थान अपरिहार्य कारणवश सत्र 2024–25 हेतु परिषद से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के संबंध में आवेदन नहीं कर सकें है।

उक्त के दृष्टिगत आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांकः 01.07.2024 से 04.07.2024 तक प्रत्येक दशा में यूराईज पोर्टल पर अपनी संस्था के su login के माध्यम से संस्था संबंधी सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2023–24 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा निर्गत अनुमोदन पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि 04.07.2024 तक ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। उपरोक्त निर्धारित तिथि के उपरान्त किसी भी दशा में तिथि का विस्तारण नहीं किया जायेगा।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव

पृ0सं0ः प्राशिप / परिषद / 2024 / 2455-59 **तद्दिनांकः 01/07/2024**

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश कानपुर।
3. निदेशक, आई0आर0डी0टी0, उत्तर प्रदेश कानपुर।
4. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, पूर्वी क्षेत्र / बुन्देलखण्ड क्षेत्र / मध्य क्षेत्र / पश्चिमी क्षेत्र को इस अनुरोध के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत स्थित निजी क्षेत्र की संस्था प्रधानाचार्य को अपने स्तर से उपरोक्तानुसार निर्देशित करना चाहें।
5. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।

(अजीत कुमार मिश्र)
सचिव